

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

51. पत्र 136 ए

31.12.19

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

2028/भू.अ./2020 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट्स व संलग्न नक्शा ट्रेस में वर्णित लाल स्याही से प्रस्तावित स्थल को दुरुस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। जिसे प्राकृतिक न्याय की भावना से दुरुस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।

"आदेश"

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4177/भू.अ./2019 दिनांक 16.10.2019 एवं पुनः जरिये पत्रांक 2028/भू.अ./2020 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट्स व संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त कर तरमीम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न नक्शा ट्रेस को आदेश का भाग बनाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावें। इसी अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

